कार्यपालक अभियंता का कर्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज।

पत्रांक:- 682 /उदाकिशुनगंज दिनांक:- 22/04/25

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी
MIS
ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार पटना ।

विषय:- MIS में प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत छुटे हुए पथ के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है कि MMGSUY Sc योजना में वित्तीय वर्ष-2023-24 में कूल 02 योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी प्रविष्ठी MIS में नहीं है जिसे चिन्हित कर संलग्न प्रपत्र में तैयार कर आपको प्रेषित की जा रही है। अतः उक्त छूटे हुए योजना को MIS में प्रविष्ठी कराने का कष्ट करेंगे ताकि Agreement विवरणी की प्रविष्ठी की जा सके ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- 1.Excell sheet में तैयार प्रपत्र।
2.A.A की प्रति।

विश्वासभाजन,
22.4.25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज।

22/04/25

Scanned with CamScanner

For Road Name Adding in MIS

Sl No.	Scheme	Division	Assembly	Block	sanction year	Name of Road/ Bridge	AA latter No. & date	Length (In Km)	Main Work Amount (In Lacs)	Maintenance Amount (In Lacs)	Contigency Amount	Total Amount (In lacs)
1	MMGSUY SC	Udakishunganj	Aalamnagar	Chausa	2024-25	Dhuriya Goath School to Panchayat Sarkar Bhawan (Edgah Tola)	712/31.03.2025	1.500	59.901	0.000	0.00000	59.901
2	MMGSUY SC	Udakishunganj	Aalamnagar	Chausa	2024-25	Rasulpur Dhuriya Panchayat Antargat RWD Path to ITI Colleg	712/31.03.2025	1.400	130.37800	0.000	0.00000	130.378

Exectutive Engineer
Rural Works Department
Works Division,Udakishunganj

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–130/2025 712 /पटना, दिनांक– 31/3/25

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन कुल 02 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ–5 में अंकित लम्बाई (कि0मी0) एवं स्तम्भ–7 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि रू0 190.279 लाख रूपये मात्र है, पर (कुल 02 योजना) घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन कुल 02 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 07 में अंकित कुल राशि 190.279 लाख मात्र है पर घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

Sl. No	Division	Block	Name of Road	विभागीय रूप से कराये गये कार्य की लम्बाई (कि0मी0)	Const. Of Upgradation/Strenthening with surface (In lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7
1	Udakishunganj	Chausa	Dhuriya Goath School to Panchayat Sarkar Bhawan (Eidgah tola)	1.5	59.901	59.901
2	Udakishunganj	Chausa	Rasulpur Dhuriya Panchayat Antargat LWD Path to ITI College	1.4	130.378	130.378
Total				2.90		190.279

2. मांग संख्या–37–मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष –789–अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष –0107– मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजन (अनुसूचित जाति), विषय शीर्ष–5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड– 37–4515–00–789–0107, मूल बजट उपबंध–700 करोड़ रु0 का बजट उपबंध प्राप्त है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित BOS-3 की राशि 2100.00 करोड़ (700 X 3= 2100) के अतिरिक्त लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 02.08.2024 को 500 करोड़ तथा दिनांक–22.01.2025 को 2220.00 करोड़ की छूट दी गयी है।

3. संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

4. सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रुप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

Scanned with CamScanner

5. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–97/2025, दिनांक 25.02.2025 को प्राप्त है।

6. सारणी में अंकित योजना का **विभागीय रुप से कराये गये कार्य हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन** के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–130/2025 में दिनांक 31.03.2025 को पृ0–04/टि0 पर प्राप्त है।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।

10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।

11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।

12. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध करायेंगे।

16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगें।

17. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–130/2025 के पृ0–05/टि0 पर दिनांक–31.03.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक– मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–130/2025 712 /पटना, दिनांक– 31/3/25

प्रतिलिपि–संवंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

ज्ञापांक– मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–130/2025 712 /पटना, दिनांक– 31/3/25

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संवंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संवंधित जिला पदाधिकारी/संवंधित उप विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना/अवर सचिव वजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संवंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संवंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संवंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner